राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई) नि.प. / (आर–39 / 92आर) / अलेसे–III / 8551–8563 दिनांक :– 21.8.2013

आदेश संख्या 206 / 2013–14

श्री रामबाबू नामा पुत्र श्री राम दयाल नामा, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट संख्या आर–39 / 92आर, लिंक नं0 2358) कार्यालय न्यू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोटा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा द्वारा 2000 / – (अंके रूपए दो हजार) की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण दिनांक 15.08.2013 को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट, 1988 मुकदमा नं0 366 / 2013 दर्ज किया गया।

राजस्थान सी.सी.ए. नियमों के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री रामबाबू नामा, कनि0 लेखाकार को गिरफ्तारी दिनांक 14.08.2013 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय, झालावाड़ में रहेगा, जहां वे नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे। निलम्बन अवधि में श्री रामबाबू नामा को राजस्थान सेवा नियमों के नियम–53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई) नि.प. / (आर–39 / 92आर) / अलेसे–III / 8551–8563 दिनांक :– 21.8.2013

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2339–42 दिनांक 15.08.2013 के क्रम में।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अधीक्षक, न्यू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोटा।
5. कोषालय, झालावाड़।
6. श्री रामबाबू नामा, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोटा।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. श्री महेन्द्र कुमार गोयल, लेखाकार।
9. जांच शाखा / गोपनीय शाखा / कम्प्यूटर शाखा / पदस्थापन सीट।
10. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)